

राज्य सभा का 34 अधिवेशन, 2013

प्ररूप 21ख

[नियम 11 (1) देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम-11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) से अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री के०सी०त्यागी


ग्राम- 1 मोरटा 4,
तहसील- गाजियाबाद,
जिला- गाजियाबाद,

जो जनता दल (यूनाइटेड) द्वारा
खड़े किये गए हैं

उस सदन में श्री उपेन्द्र कुशवाहा के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

तारीख : 07 फरवरी, 2013



(फूल झा)

रिटर्निंग ऑफिसर

रिटर्निंग ऑफिसर

राज्य सभा के उप निर्वाचन